# No. W-11037/11/2019-JJM-I

Government of India Ministry of Jal Shakti Department of Drinking Water & Sanitation

4th Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110 003 Dated: 3<sup>rd</sup> March, 2020

To

Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary

In-charge of Rural Water Supply (All States) Commissioner Cum Secretary to Puducherry, J&K, Andaman & Nicobar Island, Advisor to Lt. Governor, UT of Ladakh

Subject: Implementation of Jal Jeevan Mission

Madam/Sir,

I am directed to forward herewith gazette notification No.CG-DL-E-27022020-216422 dated 25.02.2020 regarding use of Aadhar as identity document for delivery of services in respect of Centrally Sponsored Schemes of Jal Jeevan Mission, for your information and necessary action.

Yours faithfully,

(Avinash Kumar Sinha)

Under Secretary to the Government of India

Tele: 011-2436 0287

Copy to:

Sr. Technical Director, NIC - for information and uploading the same on the website



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022020-216422 CG-DL-E-27022020-216422

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 779] No. 779] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्गुन 6, 1941 NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941

### जल शक्ति मंत्रालय

(पेयजल एवं स्वच्छता विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020

का.आ. 852(अ).—एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड का प्रयोग सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए सरकारी सेवा परिदाता प्रक्रिया का सरलीकरण करता है, यह पारदर्शिता और दक्षता लाता है और यह लाभार्थियों को सुविधाजनक और अबाध रूप से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार कार्ड किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए अनेक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है;

और जबिक, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'जल जीवन मिशन' (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) को प्रबंधित कर रहा है और इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जा रहा है;

और जबिक, मौजूदा स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस स्कीम के अधीन, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मुखिया (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) के नाम पर कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् लाभ कहा गया है) उपलब्ध कराया गया है;

और जबिक, उपर्युक्त स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है; अर्थात:-

- 1. (1) इस स्कीम के अधीन लाभ लेने वाले पात्र व्यष्टिक से अपेक्षा की जाती है कि वे आधार संख्यांक रखने का सबूत प्रस्तुत करें अथवा अपना आधार संख्यांक अधिप्रमाणन कराएं।
  - (2) इस स्कीम के अधीन लाभ लेने का इच्छुक कोई व्यष्टिक जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है अथवा जिसने आधार संख्यांक के लिए अभी तक नामांकन नहीं करवाया है उसे आधार संख्यांक हेतु नामांकन करवाने के लिए आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार संख्यांक प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसा व्यष्टिक किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर आधार संख्यांक हेतु नामांकन के लिए जाएगा (केंद्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है)।
  - (3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के संबंधित विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे लाभार्थियों के लिए आधार संख्यांक नामांकन सुविधाएं प्रदान करें जिनका आधार संख्यांक के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार संख्यांक नामांकन केंद्र मौजूद नहीं है तो उक्त संबंधित विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्टारों के साथ समन्वय करके या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी बनकर सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु ऐसे व्यष्टिक का आधार संख्यांक उसे सौंपे जाने तक, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा, अर्थात:-

- (क) यदि उसने नामांकन किया है तो उसकी आधार संख्यांक नामांकन पहचान पर्ची; और
- (ख) निम्नलिखित से कोई भी एक दस्तावेज अर्थात्:-
- (i) बैंक या डाक घर की फोटो पासबुक; अथवा
- (ii) स्थायी लेखा संख्या (पैन) कार्ड; अथवा
- (iii) पासपोर्ट; अथवा
- (iv) राशन कार्ड; अथवा
- (v) मतदाता पहचान पत्र; अथवा
- (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्ड; अथवा
- (vii) किसान फोटो पासबुक; अथवा
- (viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा
- (ix) किसी पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी फोटो पहचान प्रमाण पत्र; अथवा
- (x) राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु यह और कि इस प्रयोजन के लिए उपरोक्त दस्तावेजों की जांच राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विशिष्ट पदनामित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

- 2. इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को सुगम सेवाएं प्रदान करने के लिए, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि इस स्कीम के अधीन मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करके लाभार्थियों की आधार संख्यांक की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके।
- 3. उन सभी मामलों में जहां लाभार्थियों की खराब बायोमैट्रिक्स या किसी अन्य कारण से आधार कार्ड अधिप्रमाणन विफल होता है, तो वहां निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य पद्धतियों को अपनाया जाएगा अर्थात्:

- क) अंगुली की खराब छाप के मामले में अधिप्रमाणन के लिए 'आइरिस' जांच या चेहरा अधिप्रमाणन पद्धति अपनाई जाएगी जिसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का संबंधित विभाग अबाध रीति में लाभ प्रदान करने के लिए अंगुली की छाप के साथ 'आइरिस' जांच या चेहरा अधिप्रमाणन की व्यवस्था करेगा:
- ख) अंगुली की छाप के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन या 'आइरिस' या चेहरा अधिप्रमाणन के विफल होने की दशा में, जहां कहीं साध्य और ग्राह्य हो, वहां, सीमित अवधि वैधता वाले, यथास्थिति, एककालिक आधार पासवर्ड या समय-आधारित एककालिक आधार पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;
- ग) ऐसे अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या एककालिक आधार पासवर्ड या समय-आधारित एककालिक आधार पासवर्ड से अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां इस स्कीम के अधीन उस भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकेगा जिसकी प्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संबंधित विभाग द्वारा सुविधाजनक स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
- 4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने लाभों से वंचित न रहे, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का संबंधित विभाग अपवाद संवहन कार्य पद्धित को अपनाएगा, जैसा मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मिशन के तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन डी-26011/04/2017-डीबीटी में विनिर्दिष्ट किया गया है (यह कार्यालय ज्ञापन https://dbtbharat.gov.in/ पर उपलब्ध है)।
- यह अधिसूचना असम और मेघालय राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. डब्ल्यू-11037/11/2019-जेजेएम-I]

भरत लाल, अपर सचिव

#### MINISTRY OF JAL SHAKTI

#### (Department of Drinking Water and Sanitation)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th February, 2020

**S.O. 852(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery process, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti in the Government of India (hereinafter referred to as the Department), is administering the Centrally Sponsored Scheme of Jal Jeevan Mission (hereinafter referred to as the Scheme) to provide functional household tap connection to every rural household by year 2024 and is being implemented through the State Governments and the Union territory Administrations;

And whereas, under the Scheme, functional household tap connection (hereinafter referred to as the benefit) is provided to every rural household in the name of the heads of such households (hereinafter referred to as the beneficiaries), as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the implementation of the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Finance and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

- (2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possesses the Aadhaar number or has not enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations,2016, the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient location in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely:-
  - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
  - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
  - (iii) Passport; or
  - (iv) Ration Card; or
  - (v) Voter Identity Card; or
  - (vi) MGNREGA Card; or
  - (vii) Kisan Photo passbook; or
  - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
  - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
  - (x) any other document as specified by the State Governments and Union territory Administrations:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the State Governments and Union territory Administrations for that purpose.

- 2. In order to provide benefit to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.
- 3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
- in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
- c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations.
- 4. In order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations shall follow the exception

handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer (DBT) Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19<sup>th</sup> December 2017 (available on https://dbtbharat.gov.in/).

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administrations, except in the States of Assam and Meghalaya.

[F. No. W-11037/11/2019-JJM-I] BHARAT LAL, Addl. Secy.